

५

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6ए0/वि01-10120/2017 - 1261

पटना - 15 दिनांक :- 21/6/18

सेवा में,

महालेखाकार,

वीर चंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय - वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्य शीर्ष - 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0114-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-4215017890114 - विषय शीर्ष - 0114.53.01-मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत 3400.00 लाख रुपये (चौतीस करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

2. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के लिए वर्ष 2018-19 में योजना बजट में 169.2144 करोड़ रुपये (एक सौ उनहत्तर करोड़ इक्कीस लाख चौवालीस हजार रुपये) का प्रावधान है। इस राशि का व्यय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोराईड / आर्सेनिक / आयरन प्रभावित वार्डों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु पाईप जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण तथा पाँच वर्षों के लिए रख-रखाव एवं परिचालन के साथ पर किया जाना है। इसके लिए तत्काल 3400.00 लाख रुपये (चौतीस करोड़ रुपये) की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को उपलब्ध कराया जाना है।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय योजना का मुख्य शीर्ष - 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय - उपमुख्य शीर्ष - 01-जल पूर्ति - लघु शीर्ष - 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना - मांग संख्या - 36 - उपशीर्ष - 0114-मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) - विपत्र कोड - 36-4215017890114 - विषय शीर्ष - 0114.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारितव्य होगा।

4. योजना की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 6/ज0गु01-101/2016- 691 दिनांक- 03-03-16, 6ए/वि01-10105/2017-1771, दिनांक-18.07.2017, 6ए/वि01-10104/2017-1772 दिनांक-18.07.2017, 6ए/वि01-10105/2017-1892, दिनांक-31.07.2017, 6ए/वि01-10104/2017-1893, दिनांक-31.07.2017, 6ए/वि01-10105/2017-2085, दिनांक-25.08.2017, 6ए/वि01-10104/2017-2086, दिनांक-25.08.2017, 6ए/वि01-10163/2017- 2644 दिनांक-09.11.2017, 6ए/वि01-10105/2017- 2931 दिनांक-19.12.2017, 6ए/वि01-10104/2017- 2932 दिनांक-19.12.2017, 6ए/वि01-10163/2017- 2936 दिनांक-20.12.2017, 6ए/वि01-10226/2017- 06 दिनांक-04.01.2018, 6ए/वि01-10163/2017- 07 दिनांक-04.01.2018, 6ए/वि01-101/2018- 185 दिनांक-05.02.2018, 6ए/वि01-10163/2017- 266 दिनांक-13.02.2018, 6ए/वि01-10163/2017- 374 दिनांक-27.02.2018, 6ए/वि01-107/2018- 375 दिनांक-27.02.2018, 6ए/वि01-111/2018- 466 दिनांक-07.03.2018, 6ए/वि01-113/2018- 529 दिनांक-12.03.2018, 6ए/वि01-112/2018- 672 दिनांक-28.03.2018 एवं 6ए/वि01-113/2018- 742 दिनांक-11.04.2018 तथा आवंटन आदेश संख्या - 28.....(आ0) दिनांक - 21/6/18 के आलोक में राशि निकासी की जायेगी।

5. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या - 5537, दिनांक - 24-06-2015 में निहित प्रावधानों के तहत उप निदेशक (मू0) -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना द्वारा की जायेगी, जो सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से राशि BTC-46 में विपत्र तैयार कर BTC Form-4 चालान के साथ विश्वेश्वरैया भवन, कोषागार, पटना स्थित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0 एल0 खाता संख्या - 267, विपत्र कोड - K8448001200041 में अन्तरण द्वारा करायेंगे एवं चालान की एक प्रति अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव -सह- सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना को उपलब्ध करा देंगे।

6. विषयगत राशि की निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या - 2561 / वि0(2) दिनांक - 17-04-1998 के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई है।

- 10/2/18
7. इस पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
 8. यह राशि बजट के अधीन है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - 1261

पटना, दिनांक - 21/6/18

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक - 1261

पटना, दिनांक - 21/6/18

2. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव -सह- सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / निदेशक SPMU / मुख्य अभियन्ता (याँत्रिक) / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0-1) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0-1) / कार्यपालक अभियन्ता (मो0/मू0) / निदेशक, पी0एम0यू0 / निदेशक, सी0सी0डी0यू0 / विशेष कार्य पदाधिकारी / प्रभारी, डाटा सेन्टर (वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी - 4ए / 6ए / कार्यवाह सहायक प्रशाखा-6ए को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नवीन कुमार)
संयुक्त सचिव

Ranney